ख हुक्म	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 66 / 2016 / बाड़मेर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

07.03.2022

अपीलांटगण
1. दाऊद पुत्र खमीशा
2. पठान पुत्र दाऊद
3. मठार पुत्र दाऊद जाति मुसलमान निवासी भंवरीसर (नेगरड़ा) तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट
राजस्थान राज्य जरिये
1.तहसीलदार शिव
2.जिला कलेक्टर बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 210 / 2016 बअनवान दाउद वगै. बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 31.05.2016 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थित
1. वकील श्री भगवानदास गोयल अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 07.03.2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण का खेत खसरा नम्बर 261 / 214 रकबा 36.00 बीघा मोजा भंवरीसर पर वक्त भू बन्दोबस्त से कब्जा काश्त निर्विवाद निर्बाध रूप से चला आ रहा है। जिस पर अपीलांटगण का परिवार कृषि करके अपने परिवार लालन पालन करता है और कृषि पर ही निर्भर है व उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए मेड़ बांधी हुई है खेत का पानी खेत में रहने के लिए पुख्ता प्रबंध करके पूर्णतया उपजाऊ बनाया हुआ है। अपीलांटगण द्वारा अपना एक प्रार्थना–पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान बमुकाम झाफली कला में वास्ते खातेदारी घोषणा के पेश किया तो यह बताया गया कि खातेदारी का अंकन कर दिया जाएगा जबकि इसके ठीक विपरीत ही हुआ कि अपीलांट की बेशकिमती भूमि सरकार उतरदाता संख्या 01 के नाम करके अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी एवं वाक्याती भारी भूल की है उक्त आदेश के विरूद्व हस्तगत अपील पेश की गई।

रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। अपील पत्रावली पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि है तथा वक्त सेटलमेंट अपीलाधीन आराजी की अपीलांट को खातेदारी नहीं दी गई। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दावे के विचारण में अपीलांट को मौके से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होना संभावित है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपील पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलांट का कोई हक नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद विवेचन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर